

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सूचनाएं एजुकेशनल डिपार्टमेंट (रजिस्ट्रार) ने 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित अपनी आम सभा की बैठक में साराइटी द्वारा संचालित विद्या भारती स्कूल (सी.बी.एस.डी.) से संबद्ध सीनियर सेकेंडरी स्कूल सार्वजनिक संस्था 230147) की सी-ब्लॉक, सूर्य नगर, गाजियाबाद-201011 का नाम बदलकर "खेतिमन वैदी इंटरनेशनल स्कूल" करने का प्रस्ताव पारित किया है।

स्कूल के प्रस्तावित नाम के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो कृपया नोटिस प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अधोस्तवारी को सूचित करें।

डॉ. ए. ए. सिंघाणिया महासचिव, सूर्य नगर एजुकेशनल सोसाइटी, सी-ब्लॉक, सूर्य नगर गाजियाबाद-201011

क्रोम ई सार्वजनिक सूचना (भारतीय विद्यालय और विद्यालयिक निकायों) विनियम, 2017 का विनियमन 14) "सेव फ्रन्सेस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड" के हितधारकों के ध्यानकर्षण हेतु

Table with 2 columns: क्र. (Sl. No.), विवरण (Particulars), and तिथि (Date). Contains financial and company details.

एकदम सचुना दी जाती है कि सेव फ्रन्सेस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 10.11.2022 को संबंधित परिसमापन बुल किया है।

वित्तीय लेखांक केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सचुना जमा करेगा। अन्य लेखांक समेत परिचालन लेखांक को पेश करने या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सचुना जमा कर सकते हैं।

DECOROUS INVESTMENT AND TRADING COMPANY LTD. Regd. Office: R-489, GF-B, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060

Quarter ended and Half Year ended financial statements table with columns for Particulars, Quarter ended, and Half Year ended.

STATEMENT OF ASSETS & LIABILITIES AS ON 30.09.2022 (as per IND AS) table with columns for Particulars, AS AT 30.09.2022, and AS AT 31.03.2022.

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Divya Sharma JMC Ludhiana. Notice regarding legal proceedings and court orders.

यूपी. होटल्स लि. CIN: LS5101DL1961PLC017307. पंजी. कार्यालय: 1101, सूयु किरण, 19, कटुवा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए स्टैंडप्लान अनकींशित वित्तीय परिणामों का विवरण का सार (आय प्रस्तावण रूप का छड़कत रु. लाख में)

टिप्पणी: 1. उपरोक्त परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 10 नवम्बर, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

यूपी. होटल्स लिमिटेड के लिये हस्ता/- अर्पुव कुमार रूपक गुप्ता (संयुक्त प्रबंध निदेशक)

JAYPEE INFRA TECH 155 km expressway with 5 integrated townships. जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड

मनीभवन्म होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

कच्चा सूचना (नियम 8(1) (परिशिष्ट चतुर्थ) जबकि, अधोस्तवारी, मनीभवन्म होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (बाद में "एम्बीबीएफएफ" के रूप में संदर्भित), एम्बीबीएफएफ जिस केंद्र सरकार द्वारा विधित रूप से दिनांक 25.08.2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सूचना हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रयोजनों के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिष्ठित किया गया है, पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, एन-2, माध्यम एक्सप्रेस, पार्ट-1, नई दिल्ली-110049 द्वारा वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निम्नलिखित (2002 का 54) (बाद में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 13(2) के साथ चरित नियम 3 के अधीन प्रवर्तन शर्तियों के अंतर्गत दिनांक 08.08.2022 को 1. अधिकाधिक व्यापक पुत्र सहित व्यापक, 2. नवीन कुमार व्यापक पुत्र सहित व्यापक, 3. आधा देवी पत्नी ललन सिंह व्यापक, 4. ललन सिंह व्यापक पुत्र निवासी सिंह, सभी निवासी: संपत्ति नं. 42/1, खेरकल 187 वर्ग मीटर जमीन 156.35 वर्ग मीटर काबज पुरिया 50 वर्ग मीटर जमीन 41.805 वर्ग मीटर खयरा नं. 522, सोनू विहार, गांधी लोनी, जिला गाजियाबाद ड.उ. यहाँ भी: नई दिल्ली-110622, गली नं.-4, निवृत्तकट कालोनी, अर्धना, मोहन नगर, निकट शिव मंदिर, गाजियाबाद-201007, यहाँ भी: विद्या भवन चर्चक स्कूल, गली नं. 2, 556 बालाजी विहार, अर्धना, मोहन नगर, निकट शिव मंदिर, गाजियाबाद-201007, यहाँ भी: डीएच लिमिटेड, 85/अ/अ/वाही स्टेशन, जोटी रोड गाजियाबाद पोस्ट मोहन नगर (निकट मोहन नगर मेट्रो स्टेशन), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201007, को दिनांक 11.07.2022 तक देव राशि रु. 23,70,740/- (रुपये तैंडिस लाख सत्तर हजार सात सौ चालिस केवल) तथा और का खयरा व अन्य खयरा सूचना निम्नलिखित के 60 प्रतिशत के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया था वाइड लोन नं. (HL00000000000379) ग्रीष्म रकम का भुगतान नहीं करने पर एनए द्वारा विशेषतः कर्जदार को एवं सामान्यतः जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधिनियम 13 के नियम 8 के साथ यह जाने वाले उप-धारा 4 के तहत उन्हें प्रवर्तन शक्ति का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का अधोस्तवारी द्वारा दिनांक 07.11.2022 को कच्चा ले लिया गया है। सामक कर्जदार एवं जनसाधारण को एनए द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इन सम्पत्ति (यों) का लेन-देन व कर तथा इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एम्बीबीएफएफ को दिनांक 11.07.2022 तक देव राशि रु. 23,70,740/- (रुपये तैंडिस लाख सत्तर हजार सात सौ चालिस केवल) तथा और का खयरा व अन्य खयरा के भुगतान को अनुत्पन्न होगा। सूचित संपत्ति के एवज में उपरोक्त समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आवश्यकता का ध्यान आमंत्रित किया गया है।

अचल संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है: संपत्ति: फ्लोअर आवासीय प्लॉट नं. 42/1 और 1/2 भाग खेरकल 187 वर्ग मीटर जमीन 156.35 वर्ग मीटर खयरा नं. 522 का सौ चालिस, ग्राम लोनी, बहसोल लोनी, बहसोल लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित के सभी भाग। प्राधिकृत अधिकारी: उत्तर प्रदेश मनीभवन्म होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लि.

निककी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड CIN: L65999DL1986PLC024493, ई-मेल: ngftid@rediffmail.com

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अनकींशित वित्तीय परिणाम सारणी (रु. लाख में)

ए) उपरोक्त विवरण सेवी (सूचीकरण तथा अनु-प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत प्रेषण बजार में दखिल तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण सेवी कम्पनी की वेबसाइटों पर सूचीबद्ध प्रविष्टि पर उपलब्ध है।

कृते निककी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड हस्ता/- (राजेश कुमार पांडे) (प्रबंध निदेशक) स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 09.11.2022

INDOSTAR HOME FINANCE PRIVATE LIMITED. Registered Office: One World Center, Tower 2A, 20th Floor, Jupiter Mills Compound, S B Marg, Mumbai - 400013, India. Email: - contact@indostarcapital.com. प्रारिष्टि-IV-पू (नियम 8(6) का प्रकाशन देखें) अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

Table with 4 columns: क्रम/क्रमांक(ओं) के विवरण, तिथि, संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, ई-नीलामी की तिथि एवं समय.

Indian Express advertisement featuring a woman and the text "I arrive at a conclusion not an assumption. Inform your opinion with detailed analysis."

JAYPEE INFRA TECH advertisement with logo and contact information.

30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्ध वर्ष के अलेखापरीक्षित एकल तथा समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. लाख में, ईपीएस को छोड़कर)

Table with 12 columns: क्र. सं., विवरण, and 11 columns for financial data (EQUITY, DEBT, etc.) for 30-09-2022, 30-06-2022, 30-09-2021, 30-09-2022, 30-09-2021, 31-03-2022, 30-09-2022, 30-06-2022, 30-09-2021, 30-09-2022, 30-09-2021, 31-03-2022.

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त सारांश, सेवी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही/अर्द्धवर्ष के स्टैंडप्लान तथा समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है।

जिसमें विवरण पर, यस बैंक को ऋण समझौते में शामिल किसी भी सार्वजनिक प्रतिभूति कानून के प्रवर्तन के संदर्भ में कोई भी कानून कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इस बीच में, यस बैंक ने एनएएलटी (इलाहाबाद बैंक) के आदेश दिनांक 27 जून 2022 के खिलाफ एनपीएलएटी, प्रिंसिपल बैंक, नई दिल्ली से कंपनी अपील (एटी) (दिलाल) संख्या 873 ऑफ 2022 के तहत संपर्क किया है, जिसे पलेती बार 28 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया था। उक्त तिथि पर, एनपीएलएटी ने जेएचएल को नोटिस जारी किया और जेएचएल को 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर-साध्य पत्र दायित्व करने का निर्देश दिया। यस बैंक को उसके बाद 2 सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, दायित्व करने का निर्देश दिया गया था। जेएचएल का जवाब 12 अगस्त 22 को एनपीएलएटी को सूचीबद्ध दायर किया गया है। यस बैंक ने भी 30 अगस्त 2022 को अपना प्रत्युत्तर दायित्व किया। अपील को 7 सितंबर 2022 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें जेएचएल के वकील ने तर्क दिया कि जेएचएल और जेआरएल (जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड) के सीआईआरपी आदेश में जुड़े हुए हैं और लॉन्ड एनपीएलएटी द्वारा दायर एस 7 आवेदन को स्थगित रखने में निर्णायक प्राधिकरण उपयुक्त था। इसका यस बैंक को वकील ने जोरदार विरोध किया। बैंच ने 20 अक्टूबर 2022 के लिए मामले को इस अवलोकन के साथ स्थगित करने की इजाजत की कि एनपीएलएटी, दिल्ली के समझ लाइने जेआईएल की समाधान योजना के अनुमोदन के संबंध में कार्यवाही की परवाह किए बिना अपील अगली तारीख को सुनी जाएगी। मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर 2022 और 2 नवंबर 2022 को हुई और यस बैंक की दलीलों पूरी हुईं। इस मामले में जेएचएल की दलीलों सुनने के लिए अपील अब 22 नवंबर, 2022 के लिए सूचीबद्ध है। इस बीच, मामला 2 नवंबर, 2022 को एनपीएलएटी, इलाहाबाद के समझ में उठया गया। उक्त तिथि पर, यस बैंक ने उल्लेख किया कि उन्होंने एनपीएलएटी द्वारा 27 जून 2022 को पारित आदेश के खिलाफ एनपीएलएटी के समझ अर्धिल की है और यह निर्णय लंबित है। इसलिए इस मामले को बाद में उठया जा सकता है। तदनुसार मामला अब एनपीएलएटी, इलाहाबाद के समझ 16 जनवरी 2023 को तय किया गया है। प्रचालन से होने वाली कुल लागत नं. 30.09.2022 को समाप्त तिमाही और अर्द्धवर्ष के लिए क्रमशः ₹ 1580.58 लाख और ₹ 10144.46 लाख के विकास के लिए भूमि से प्रायः राजस्व शामिल है। जेसा कि निदेशक मंडल की शक्ति को रोक दिया गया है, इसलिए उपरोक्त परिणाम को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंज में दायित्व करने के लिए 09 नवंबर, 2022 को आईआरपी, सी अनुमो जैन द्वारा इसकी समीक्षा की गयी थी और इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में कंपनी के पास कोई सीआईएफओ (31.07.2020 को इस्तीफा दे दिया) या सीआईए नहीं है। कंपनी ने संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ समझौते के अनुसार अचल संपत्तियों की पुस्तकों में प्रदर्शित शेष राशि के अनुसार प्रकट वित्तीय परिणामों में बकाया ऋण और ब्याज का खुलासा किया है। वित्त लागत में 30.09.2022 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए ऋण पर ब्याज कुल मिलाकर ₹ 67648.71 लाख और ₹ 132104.77 लाख शामिल है, जिसे निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन पर पुनः उल्लिखित किया जाएगा। कंपनी ने रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए परिणामों और देनदारियों के एक आधार और उनकी संवहनीय राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर आस्थगित करारत परिणामों/देनदारियों की समीक्षा की है। हालांकि, वृत्तिक कंपनी सीआईआईआरपी के अधीन थी, अतः यह निकट भविष्य में कर योग्य लाभ की आगामी अनिश्चितता है और आस्थगित कर परिणामों की उपलब्धता को समाप्त/योजित किया जाना है। तदनुसार, समझौते/अर्धिल के अनुसार 1 अगस्त, 2022 से 30 सितंबर, 2022 के लिए आस्थगित कर (शुद्ध परिणामों) पर विचार नहीं किया गया है। 10.30 सितंबर, 2022 को निजी लॉर पर सूचीबद्ध गैर परितंत्रित डिसेंबर (एनपीसी) कुल ₹ 33252.57 लाख (₹12057.57 लाख के बकाया ब्याज सहित) जो है भूमि प्राप्त 4 अर्धतुल्य, विला अलीबाद, उत्तर प्रदेश पर स्थित 124.73 एकड़ भूमि पर अन्त्या प्रभार/बंधक के माध्यम से प्रारिष्टि है। 30.09.2022 को उपलब्ध कुल सुरक्षित ऋण-परिवर्तनीय डिसेंबर में मूलभूत एवं बकाया ब्याज राशि का 61 प्रतिशत (अतिरिक्त संचित मूल्य पर आधारित) है। कंपनी सूचना/डिसेंबर ट्रस्ट डीड में नए नए सुरक्षा कवर को बनाए रखने में समझ नहीं है क्योंकि कंपनी कॉर्पोरेट दिवाल सामान्य प्रक्रिया को गुजर रही है। एनपीसी धारक यानी एक्सिस बैंक ने एनपीसी की संबंध में दवा दायर किया है और यह बकाया राशि के लिए "विशेष लेनदार" है। एनपीसी धारक यानी एक्सिस बैंक ने एनपीसी की सूचना द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्णय किया जाएगा। 11. अतिरिक्त स्तर पर और भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के प्रकोप ने आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी की है और मंदी का कारण बना। सरकार द्वारा पोषित लॉकडाउन के कारण, कंपनी के संचालन को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के कुछ भाग में स्थिर रूप से कर दिया गया था और तदनुसार 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए वे चालू अवधियों हेतु तुलनीय नहीं हैं। आवश्यक सावधानियों के साथ परिचालन और आर्थिक गतिविधियों धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रही हैं। 12.30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े जो 30 सितंबर, 2022 को समाप्त छमाही के समेकित आंकड़ों और 30 जून, 2022 तक के प्रकाशित वर्ष प्रतिवर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलनकरकर आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। 13. पूर्ववर्ती तिमाहियों/अर्द्धवर्ष के आंकड़ों का सूचना/तिमाही/अर्द्धवर्ष/वर्ष के अनुसार करने के लिये जहां-जहां अनिवार्य समझा गया है, उन्हें पुनःकार्यान्वित/पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिये एवं उसकी ओर से अनुमोदित समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए एक उपायुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था, एनपीसी लॉर (इलाहाबाद बैंक) ने 27 जून 2022 के आदेश में कहा है कि मामले में कार्यवाही को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि सीपी-77/2017 में आईए-2836/2021 में संकल्प योजना पर माननीय प्रधान पीठ द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाता है। उसी के आधार पर, वर्तमान आवेदन में आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। हालांकि, जेएचएल को उपलब्ध स्रोतों के अनुसार ऋण किस्त का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अपनी देनदारियों को समाप्त करने के लिए एक उपायुक्त योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था,